उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

संख्या-63/2023/618/52-1-2023-02(पी0एम0जे0वी0के0)/2023

लखनऊ: दिनांक 19 जून, 2023

<u>शुद्धि-पत्र</u>

निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-1376/अ0सं0क0नि0-631/लेखा/मल्टी0-से0प्लान/2023-24 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-61/2023/538/52-1-2023-02(पी0एम0जे0वी0के0)/2023 दिनांक 12.06.2023 के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष पृथक-पृथक अवमुक्त धनराशि का योग रू0 4095.7373 लाख का संशोधित आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश संख्या-61/2023/538/52-1-2023-02(पी0एम0जे0वी0के0)/2023 दिनांक 12.06.2023 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित धनराशि एवं उक्त प्रस्तर की तालिका के स्तम्भ-10 में विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष पृथक-पृथक अवमुक्त धनराशि का मान दशमलव के तीन स्थान पर रखने पर योग **रू0 4095.737 लाख (रूपये चालीस करोड़ पन्चानबे लाख तिहत्तर हजार सात सौ मात्र) होता है, जबकि दशमलव के चार स्थान** पर रखने पर अवमुक्त धनराशि का योग **रू0 4095.7373 लाख (रूपये चालीस करोड़ पन्चानबे लाख तिहत्तर हजार सात सौ तीस मात्र)** होता है।

3- अत: उक्त शासनादेश संख्या-61/2023/538/52-1-2023-02(पी0एम0जे0वी0के0)/2023 दिनांक 12.06.2023 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित धनराशि एवं उक्त प्रस्तर की तालिका के स्तम्भ-10 में विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष पृथक-पृथक अवमुक्त धनराशि दशमलव के तीन स्थान तक के **योग रू0 4095.737 लाख** के स्थान पर **दशमलव के चार स्थान के योग रू0 4095.7373 लाख (रूपये चालीस करोड़ पन्चानबे लाख तिहत्तर हजार सात सौ तीस मात्र)** समझा/पढ़ा जाये।

4- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष निर्देश/शर्ते यथावत रहेंगी।

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या618(1)/बावन-1-2023-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव सम्बन्धित विभाग को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को यथावश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
8. उपरोक्त तालिका के कॉलम-4 में अंकित कार्यदायी संस्था के निदेशक/प्रबन्ध निदेशक को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण कार्य समयान्तर्गत/गुणवत्ता पूर्ण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
9. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 16.06.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. निदेशक, परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग।
11. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
14. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।